न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून
उपस्थितः अंजलि बेंजवाल,
यू0के0एच0जे0एस0

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 602/2025
(एस0टी0 संख्या– 53/2025)

प्रियंका, उम्र लगभग 23वर्ष, पुत्री श्री टीका राम सिंह, निवासी– कोडिपुरा धनपुर जिला बिजनौर उ0प्र0।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य,

.....विपक्षी

मु0अ0 संख्या–01/2025
अन्तर्गत धारा–137(2) 143(4)
बी0एन0एस0
थाना– कैंट, देहरादून।

अधिवक्तागण–

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्तागण – **श्री युद्ववीर हाण्डा**

विपक्षी/उत्तराखण्ड राज्य की ओर
सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण(दाण्डिक) – **श्री राजीव गुप्ता**

दिनांकः–29.05.2025

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता **प्रियंका** की ओर से थाना कैंट, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 अन्तर्गत धारा 137(2) 143(4) भारतीय न्याय संहिता में जमानत प्रदान किये जाने हेतु दिया गया है।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है।

अभियुक्त को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। पुलिस द्वारा वादीमुकदमा से मिलकर झूठी कहानी बनायी गयी है। दौराने विवेचना भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता उपरोक्त मामले में दिनांक 14.01.2025 से जिला कारागार देहरादून में निरूद्व है। उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त शैन्टी का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश देहरादून के न्यायालय से दिनांक 09.05.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। उपरोक्त मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। वादीमुकदमा श्रीमती रीना द्वारा भी शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि वह अभियुक्ता प्रियंका के विरूद्व कोई भी विधिक कार्यवाही नही चाहती है क्योंकि प्रियंका ने वादिनी के साथ कुछ भी गलत कृत्य नहीं किया है और ना ही प्रियंका ने वादिनी के बच्चे का अपहरण किया है, उसे अभियुक्ता प्रियंका को जमानत पर रिहा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह जमानत का विरोध नही करना चाहती है। इसी आशय का शपथपत्र वादी मुकदमा के भाई सतीश द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि अनुसार जमानत बंधपत्र देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

3. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की पैरोकार कैलाशो द्वारा शपथत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है।

4. अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि दौराने जांच प्रकाश में आया है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त अभियोग में अपहृत बच्चे को दो लाख रूपये में बेचा गया था। सहअभियुक्तगणो की निशानदेही पर दिनांक 13.01.2025 को बच्चे को श्रीमती राजवती पत्नी महेन्द्र निवासी सरकथल चांदपुर बिजनौर की कस्टडी से

बरामद किया गया एवं बच्चे की शिनाख्त वादिनी मुकदमा श्रीमती रीना व उनके भाई सतीश द्वारा की गयी। सहअभियुक्तगण तान्या, सैन्टी, राकेश व प्रियंका के विरूद्व आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इआधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया है।

5. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री युद्ववीर हाण्डा एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री राजीव गुप्ता को सुना व पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्व थाना कैन्ट, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 अन्तर्गत धारा 137(2), 143(4) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज है। पुलिस आख्यानुसार सहअभियुक्तगण तान्या, सैन्टी, राकेश व प्रियंका के विरूद्व आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त शैन्टी का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश देहरादून के न्यायालय से दिनांक 09.05.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। वादी मुकदमा श्रीमती रीना द्वारा भी शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि वह अभियुक्ता प्रियंका के विरूद्व कोई भी विधिक कार्यवाही नही चाहती है क्योंकि प्रियंका ने वादिनी के साथ कुछ भी गलत कृत्य नहीं किया है और ना ही प्रियंका ने वादिनी के बच्चे का अपहरण किया है, उसे अभियुक्ता प्रियंका को जमानत पर रिहा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह जमानत का विरोध नही करना चाहती है। इसी आशय का शपथपत्र वादी मुकदमा के भाई सतीश द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। मामला विचारण के स्तर पर नियत चला आ रहा है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता दिनांक 14.01.2025 से जिला कारागार देहरादून में निरूद्व है।

7. इन परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर विस्तृत चर्चा किये बगैर, अभियुक्त को दौराने विचारण, जमानत पर रिहा किया जाना समीचीन प्रतीत

होता है। तदानुसार समता के आधार पर अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **प्रियंका** द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 602 वर्ष 2025 अन्तर्गत धारा 137(2), 143(4) भारतीय न्याय संहिता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा रू0 50,000/—रू0 (पचास हजार रूपय) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(अंजली बेंजवाल)
चतर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
देहरादून

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
देहरादून